

क्र. नं. 18/2024 रामपाल लाल 2 भाग मजदूर धर्मा

की आज दिनांक तक उपस्थित नहीं। मतः
प्रीति सं. 173 के विषय एक हरफा
कापवाही नामक नै लाम्बी जारी है।
पत्रावली वाले साक्ष्य हेतु दिनांक 21/4/25
को पेश हो।

21/4/25 पत्रावली पेश हुई वकिल वकील इन्द्र /
पत्रावली वाले साक्ष्य हेतु दिनांक
12/05/25 को पेश हो।

12/05/2025 पत्रावली पेश हुई वकिल वकील 30.
पत्रावली वाले साक्ष्य हेतु दिनांक
30/05/2025 को पेश हो।

30/5/25 पत्रावली पेश हुई, धिवक्ता सच द्वारा
कण्डा/कार्य का बहिष्कार करने पर
अपराध विनांक 3/6/25 पेश हो।

3/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकिल वकील अनु०।
वकिल वकील एवं वकील को न्यायालय
समय में बार-2 आवाज लगाई गई
इसके उपरान्त भी उप० नहीं अतः वकील
का वाक्य अक्षम हाजिरी अक्षम वेरवी
में स्वारिज किया जाता है पत्रावली फेरल
अभार होकर दर्ज नभकर से कम है।